

कार्यालय संचालक
संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email-dirfood.cg@nic.in, website-www.khadya.cg.nic.in)

क्रमांक 76 / संचा.-वि.स. / 2026

नवा रायपुर, दिनांक 17 / 2 / 2026

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-जांजगीर-चांपा,
छत्तीसगढ़

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1463 अतारांकित द्वारा श्री ब्यास कश्यप, सदस्य
विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

---00---

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1463 अतारांकित की
प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी
'यूनिकोड फॉन्ट' में) दिनांक 19.02.2026 तक ई-मेल (dirfood.cg@nic.in) के माध्यम से हार्ड
कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न
विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

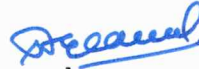

सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर
नवा रायपुर, दिनांक 17 / 2 / 2026

पृ.क्रमांक 77 / संचा.-वि.स. / 2026

प्रतिलिपि :-

खाद्य अधिकारी, जिला- जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की
जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

July 2025 सत्र में लगभग
Same question का अतः
अग्रहण हो सकता है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय
प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 27/02/2026

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 09/03/2026 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत पी.डी.एस. दुकानों के संचालन तथा राशनकार्ड ई-केवाईसी

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 1463) श्रीब्यास कश्यप

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) जिला जांजगीर-चांपा के नगरपालिका जांजगीर-नैला क्षेत्र में वर्तमान में कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं? नगरीय निकाय क्षेत्रों में नवीन पी.डी.एस. दुकान प्रारंभ करने के क्या मापदंड हैं? क्या जांजगीर-नैला नगरपालिका की जनता को राशन वितरण करने के लिए दुकानों की संख्या पर्याप्त है? यदि नहीं तो कितनी नवीन दुकानें खोलने की आवश्यकता है अथवा प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं? (ख) प्रश्नांश 'क' के कितने ऐसे दुकान संचालक हैं जिन्हें एक से अधिक दुकानें आबंटित की गई है और क्यों? दुकानों के आबंटन के संबंध में शासन के निर्देशों का ब्यौरा क्या है? (ग) प्रश्नांश 'क' के कितने दुकान संचालकों के विरुद्ध वर्ष 2025 से जनवरी, 2026 में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है? (घ) ई-केवाईसी नही होने के कारण जांजगीर-चांपा विधानसभा के कितने पात्र हितग्राहियों का नाम राशन कार्ड से काटे गए हैं? ग्रामवार, विकासखंडवार जानकारी दें? ऐसे हितग्राहियों को पुनः जोड़ने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

Sent From : vidhan | Sent Date : 17/02/2026 02:08:51 |

Remark :

Collector JC